राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1081 / 2013 / बाड़मेर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–चतुर्थ, वृत्त–बाड़मेर । ....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स सुखदेव बोहरा, सुरा, बाड़मेर। ....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी.ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक । ......अपीलार्थी की ओर से.

श्री पी.एल.चोपड़ा,
अधिकृत प्रतिनिधि । ....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक :16.09.2014

निर्णय

1. अपीलार्थी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–चतुर्थ, वृत्त–बाड़मेर द्वारा उक्त अपील उपायुक्त वाणिज्यिक कर (अपील्स–प्रथम), जोधपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.11.2012 के विरूद्ध पेश की गयी है, जो अपील संख्या 27 / आर. वेट / 2012–2013 के संबंध में है तथा जिसमें अपीलार्थी ने राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 23 / 24 के तहत् आरोपित कर रू.39,000 / –, अधिनियम की धारा 58 के तहत् आरोपित शास्ति रू.36,482 / – को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त करने को विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, बाड़मेर (जिसे आगे 'निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी का वर्ष 2012–13 का निर्धारण आदेश अधिनियम की धारा 23 / 24 के तहत् पारित कर, प्रत्यर्थी व्यवहारी आलोच्य अवधि में अपंजीकृत व्यवहारियों से खरीद रू.5,50,000 / – के संविदा कार्य में प्रयुक्त मेटेरियल की दर्शायी, जिसे कम प्रतीत होना अवधारित कर, उक्त को रू. 5,50,000 / – की अपंजीकृत खरीद पत्थर, बजरी, गिट्टी मय परिवहन खर्च एवम् लाभांश जोड़कर उक्त पर 4 व 12 प्रतिशत की दर से कर व सरचार्ज रू.39,000 / – आरोपित किया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि से संबंधित त्रैमासिक विवरणियां समय पर प्रस्तुत नहीं करने के कारण निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 58 के तहत् शास्ति रू.36,482 / – आरोपित कर, निर्धारण आदेश पारित किया गया। उक्त पारित आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर ली गयी । जिससे
[illegible] है।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

4. निर्धारण अधिकारी की ओर से उप–राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन कर, अपीलीय आदेश को अविधिक एवम् त्रुटिपूर्ण होने के कारण, इसे अपास्त कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी की अपील पुनर्स्थापित (restore) करने की प्रार्थना की गयी। इस संबंध में तर्क दिया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों का गहन विश्लेषण किये बिना ही मनमर्जी से अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा किये गये करारोपण को अपास्त कर दिया है, जो अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने के कारण पूर्णतः अविधिक एवम् अनुचित है। लिहाजा, अपील स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपंजीकृत व्यवहारियों से खरीद ठेके में प्रयुक्त सामग्री की सूची कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दी थी। इसके बावजूद अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना कोई विशिष्ट नोटिस जारी किये, कय में वृद्धि कर अपंजीकृत व्यवहारियों से खरीद को बढ़ा कर, माल को माल सम्पति मूल्य में हस्तांतरण कार्य संविदा निष्पादन के दौरान होना अभिनिर्धारित किया है, जो कि विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। अपने कथन के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत वा.क.अ., कार्य संविदा एवम् पट्टा कर, भीलवाड़ा बनाम् मैसर्स मुकुटवाला कन्सट्रक्शन कं0, भीलवाड़ा एस.बी.सिविल रिविजन कमांक 25/2011 निर्णय दिनांक 28.01.2011 व वा.क.अ., कार्य संविदा एवम् पट्टा कर, भीलवाड़ा बनाम् मैसर्स ब्रहमाणी कन्सट्रक्शन, भीलवाड़ा एस.बी.सिविल रिविजन कमांक 26/2011 निर्णय दिनांक 28.01.2011 को प्रोद्धरित किया तथा माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में अपंजीकृत व्यवहारियों से किये गये कय के अनुमानों के आधार पर विकय पर करारोपण को अविधिक होना बताया। अतः मनमाने ढंग से बढ़ाये गये क्रय पर कर को उचित रूप से अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किया गया है । अतः उक्त बिन्दु पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

जहां तक अधिनियम की धारा 58 के तहत् आरोपित का प्रश्न है, कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 51A के तहत् प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर, जारी अधिसूचना कमांक एफ.12(25) एफडी/टैक्स/11–169 दिनांक 30.03.2011, जारी की गयी थी जिसे पुनः

लगातार.....3

अधिसूचना कमांक एफ.12(92)एफडी/टैक्स/2011—46 दिनांक 15.09.2011 के जरिये अतिष्ठित कर, अधिसूचित किया गया है कि जिन व्यवहारियों द्वारा समस्त विवरणियां वर्ष 2009—10 के लिये 30.09.2011 तक प्रस्तुत कर दी गयी है तथा समस्त देय कर राशि दिनांक 30.09.2011 तक जमा करवा दी गयी है, उन व्यवहारियों पर आरोपित शास्ति राशि व ब्याज राशि का अधित्यजन राज्य सरकार द्वारा कर दिया गया है । इस संबंध में विशिष्ट रूप से तर्क दिया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वर्ष 2009—10 के लिये कथित देय कर को दिनांक 30.09.2011 से पूर्व जमा करवाते हुये समस्त विवरणियां दिनांक 19.04.2011 से पूर्व प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः उक्त वर्णित तथ्यात्मक स्थिति के प्रकाश में, राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक एफ. 12(92)एफडी/टैक्स/2011—46 दिनांक 15.09.2011 के प्रकाश में दिनांक 30.09.2011 से पूर्व समस्त विवरणियां प्रस्तुत करने और समस्त देय कर वर्ष 2009—10 के लिये जमा कराये जाने के कारण इस संबंध में आरोपित शास्ति की राशि राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 51A के तहत् अधित्यजित कर दिये जाने के कारण अब वसूली योग्य होना नहीं रह गयी हैं । कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 15.09.2011 व अधिनियम की धारा 20 के तहत् Due tax जो अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विकी विवरणियों में घोषित किया गया है वह दिनांक 30.09.2011 से पूर्व जमा होने के कारण प्रत्यर्थी व्यवहारी पर Due tax जमा करवाने हेतु शेष नहीं था । अतः अधिसूचना दिनांक 15.09.2011 के लाभ प्राप्त करने का प्रत्यर्थी व्यवहारी हकदार था जिसे उचित रूप से अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया है। अपने उक्त तर्क के आधार पर पारित अपीलीय आदेश में हस्तक्षेप नहीं करने की प्रार्थना कर, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया गया ।

6. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड का परिशीलन किया। रिकॉर्ड के परिशीलन से विदित होता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के हस्तगत प्रकरण में विद्वान निर्धारण अधिकारी द्वारा कार्य संविदा निष्पादन में माल की कुल मात्रा की आवश्यकता का अभिनिर्धारण किये बिना ही, बिना युक्तियुक्त आधार व बिना सुनवायी का मौका दिये कार्य संविदा निष्पादन माल मूल्य का अन्तरण को अपंजीकृत व्यवहारियों से कय करना मान कर, करारोपण करना, समान बिन्दु पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत वा.क.अ., कार्य संविदा एवम् पट्टा कर, भीलवाडा बनाम् मैसर्स मुकुटवाला कन्सट्रक्शन कं0, भीलवाड़ा एस.बी.सिविल रिविजन कमांक

अपील संख्या – 1081/2013/बाड़मेर 25/2011 निर्णय दिनांक 28.01.2011 व वा.क.अ., कार्य संविदा एवन् पट्टा कर, भीलवाड़ा बनाम् मैसर्स ब्रहमाणी कन्स्ट्रक्शन, भीलवाड़ा एस.बी.सिविल रिविजन कमांक 26/2011 निर्णय दिनांक 28.01.2011 में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में, विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। अतः उक्त विवादित बिन्दु पर विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा अवधारित निष्कर्षों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का विधिसम्मत औचित्य नहीं है। लिहाजा, इस बिन्दु पर अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है ।

जहां तक आरोपित शास्ति का प्रश्न है, राज्य सरकार प्रारंभ में जारी की गयी अधिसूचना कमांक एफ12(25) एफडी/टैक्स/11–169 दिनांक 30.03.2011 को अतिष्ठित किया जाकर, पुनः राज्य सरकार द्वारा नयी अधिसूचना कमांक एफ. 12(92) एफडी/टैक्स/2011–46 दिनांक 15.09.2011 जारी की गयी है। जिसके अनुसार वर्ष 2009–10 के लिये आरोपित शास्ति राशियों व ब्याज राशियों को उन व्यवहारियों के संबंध में, अधित्यजित कर दिया गया है, जिन्होनें वर्ष 2009–10 की समस्त विवरणियां दिनांक 30.09.2011 तक प्रस्तुत कर दी है तथा वर्ष 2009–10 का समस्त देय कर दिनांक 30.09.2011 तक जमा करवा दिया है । इस संबंध में जारी अधिसूचना कमांक 2011–46 दिनांक 15.09.2011 का मूल पाठ का अध्ययन करना समीचीन होगा, जो इस प्रकार है:–" **In exercise of the powers conferred by Section 51A of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), and in supersession of this Department's notification No. F.12(25) FD/Tax/11-169 dated 30.03.2011, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby waives the amount of penalty and interest payable, for the year 2009-10, by the dealer who have filed all returns and have deposited all due tax relating to the year 2009-10 upto 30.09.2011.**

8. अतः उक्त विभागीय परिपत्र के आलोक में यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत बिक्री विवरणियों में बहीयात के अनुसार देय कर राजकोष में जमा करवाया जाता है वह ही Due tax की श्रेणी में आता है, अतः हस्तगत प्रकरण के संबंध में यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा देय कर दिनांक 30.09.2011 से पूर्व जमा था एवम् प्रत्यर्थी व्यवहारी को अपीलीय अधिकारी द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 15.09.2011 के

लगातार.....5

आलोक में उचित रूप से शास्ति के बिन्दु पर राहत प्रदान की गयी है । अतः पारित अपीलीय आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है ।

8. परिणामतः, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

9. निर्णय प्रसारित किया गया।

16.9.2014
(मदन लाल)
सदस्य